राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम,
जयपुर, राजस्थान फोन न0 0141–2220963, ई–मेलः co.asha_nrhm@yahoo.com

क्रमांकः एफ21(113)/एनएचएम/आशा/एसीएफ/2018–19/312 दिनांकः 20/09/18

परिपत्र - 01
आशा सहयोगिनियों हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

पीआईपी वर्ष 2018–19 में बजट मद 3.1.3.5 के अन्तर्गत राज्य में कार्यरत समस्त आशा सहयोगिनियों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अन्तर्गत जीवन बीमा करवाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। अतः इस संबंध में निम्नानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें–

- राज्य में कार्यरत समस्त आशा सहयोगिनियों का PMSBY के अन्तर्गत जीवन बीमा करवाया जावेगा जिसके प्रिमियम का भुगतान उक्त बजट मद से विभाग द्वारा किया जावेगा।
- विभाग द्वारा उन्ही आशा सहयोगिनियों के जीवन बीमा प्रिमियम का भुगतान किया जावेगा जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा समेकित बाल विकास सेवाएं में पत्र जारी करने की दिनांक को कार्यरत है अर्थात पत्र जारी करने की दिनांक तक संबंधित दोनो विभागों में से किसी भी विभाग द्वारा जिस आशा सहयोगिनी को पद से हटाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो उस आशा सहयोगिनी के जीवन बीमा के प्रिमियम का भुगतान विभाग द्वारा नही किया जावेगा।
- राज्य में कार्यरत जिन आशा सहयोगिनियों द्वारा वर्ष 2018–19 में उक्त योजना अन्तर्गत पंजीयन अथवा प्रिमियम का भुगतान पत्र जारी करने की दिनांक से पूर्व में किया जा चुका है उनका दुबारा पंजीयन नही करवाया जाना है ऐसी आशाओं को भी प्रिमियम राशि का पुनर्भरण प्रिमियम प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर किया जावें।
- विभाग द्वारा आशा सहयोगिनियों का जीवन बीमा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत करवाया जावेगा। अतः उक्त योजना में बीमित आशा सहयोगिनी की मृत्यु के उपरान्त नोमिनी को दिये जाने वाले परिलाभ PMSBY के अनुसार संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगें।
- उक्त योजना में बीमा बैंक द्वारा किया जावेगा। अतः आशा सहयोगिनियों के बैंक खाता जोकि आशा सॉफ्ट में दर्ज है उन्ही बैंक की संबंधित शाखाओं से PMSBY के अन्तर्गत आशा सहयोगिनियों का जीवन बीमा करवाया जावें।
- आशा सहयोगिनी द्वारा उक्त योजना में जीवन बीमा करवाये जाने के उपरान्त बैंक से प्राप्त प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करने पर प्रिमियम राशि (रू0 12/– प्रति आशा 1 वर्ष के लिए) का पुनर्भरण विभाग द्वारा किया जावेगा।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत निरन्तर जुडे रहने हेतु प्रतिवर्ष प्रिमियम का भुगतान निर्धारित किया गया है। विभाग द्वारा वर्ष 2018–19 में आशा सहयोगिनियों के उक्त योजना में जीवन बीमा की प्रिमियम राशि का पुनर्भरण किया जावेगा तथा आगामी वर्षों में भारत सरकार से वित्तीय सहयोग प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रिमियम राशि का पुनर्भरण किया जा सकेगा।
- उक्त योजना में बीमा राशि के विभाग से पुनर्भरण हेतु अंतिम तिथी 31 सितम्बर 2018 निर्धारित की जाती है।

जयसिंह

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान फोन न0 0141–2220963, ई–मेलः co.asha_nrhm@yahoo.com

- उक्त योजना में आशा सहयोगिनी के जीवन बीमा करवाने में सहयोग हेतु 17 सितम्बर 2018 से 15 अक्टूबर 2018 तक विशेष अभियान चलाया जावें जिसमे संबंधित पीएचसी हेल्थ सुपरवाईजर/एलएचवी द्वारा उक्त योजना में आशा सहयोगिनियों के पंजीकरण हेतु संबंधित बैंक से योजना के फार्म प्राप्त करने एवं भरने में सहयोग किया जावें।
- ब्लॉक हेल्थ सुपरवाईजर/खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि जिन सेक्टर स्वास्थ्य केन्द्रों पर पीएचएस तथा एलएचवी पदस्थापित नही है उस क्षेत्र की आशा सहयोगिनियों को सहयोग हेतु नजदीकी पीएचएस अथवा एलएचवी की जिम्मेदारी निर्धारित करायें साथ ही नियत समयावधी में कार्यरत समस्त आशा सहयोगिनियों को योजना में लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।
- ब्लॉक हेल्थ सुपरवाईजर/खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक दिनांक 20 अक्टूबर 2018 तक उनके क्षेत्र में कार्यरत समस्त आशा सहयोगिनियों से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पंजीकरण हेतु बैंक से प्राप्त प्राप्ति रसीद की छाया प्रति संकलित कर सुरक्षित रखें तथा संलग्न प्रपत्र में सूचना तैयार कर जिला स्तर पर जिला आशा समन्वयक को प्रस्तुत करें।
- जिला आशा समन्वयक समस्त ब्लॉक से सूचना संकलित कर दिनांक 25 अक्टूबर 2018 तक राज्य स्तर पर आशा अनुभाग में प्रस्तुत करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

शासन सचिव, चि.स्वा. एवं प.क.
एवं मिशन निदेशक,एनएचएम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चि.स्वा. एवं प.क. विभाग।
4. निजी सचिव, माननीया राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग।
5. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चि.स्वा. एवं प.क. विभाग।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चि.स्वा. एवं प.क. विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, चि.स्वा. एवं प.क. व मिशन निदेशक, एनएचएम।
9. निजी सहायक, निदेशक–जन स्वास्थ्य।
10. निजी सहायक, निदेशक–आरसीएच।
11. निजी सहायक, निदेशक–वित्त, एनएचएम।
12. निजी सहायक, परियोजना निदेशक–एनएचएम।
13. समस्त जिला कलक्टर।
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
15. समस्त जिला उपनिदेशक आईसीडीएस।
16. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला आशा समन्वयक।
17. सर्वर रूम, एनएचएम।

निदेशक (आरसीएच)

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अन्तर्गत बीमित आशाओं की सूचना

जिला–

क्र.सं.	आशा का नाम	PMSBY के अन्तर्गत नोमिनी का नाम	आंगनबाडी केन्द्र	सेक्टर सीएचसी / पीएचसी	ब्लॉक	आशा की जन्म दिनांक	PMSBY में पंजीकरण की दिनांक	17 सितम्बर 2018 से पहले PMSBY के अन्तर्गत बीमित है। (हां / नही)

जयसिंह